रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जनवरी 28, 1971/माघ 8, 1892

No. 80] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 1971/MAGHA 8, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January 1971

S.O. 572.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government, being of opinion that it is necessary so to do, hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice Syed Murtaza Fazal Ali, Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir.

[No. F.11/1/71-K(Part-II).]

ASOKA SEN, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1971

का० आ० 572.—विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह राय होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा "विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" गठित करती है, जो न्यायाधिपति श्री सैयद मुर्तजा फजल अली, मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय, जम्मू-कश्मीर के रूप में है ।

[सं० फा० 11/1/71-के (भाग 2).]

अशोक सेन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971